ikDdFku

मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व क्षेत्र के अधीन आने वाले विभागों जिसमे वाणिज्य कर विभाग, राज्य आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, खनन विभाग एवं मनोरंजन कर विभाग सम्मिलित हैं, के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा की अर्थपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का प्रस्तुतीकरण है। फिर भी, आर्थिक, जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट को इससे अलग एवं जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट के प्रतिवेदन एवं आर्थिक क्षेत्र–गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के प्रतिवेदन में सम्मिलित है।

इस प्रतिवेदन में वर्णित मामलों में वे मामले हैं जो वर्ष 2013–14 में अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये तथा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रकाश में आये ऐसे मामले, जिन्हें विगत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका; वर्ष 2013–14 के आगे की अवधि के मामलें भी, जहाँ आवश्यक था, शामिल किये गये है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप ही लेखापरीक्षा सम्पादित की गई है।